अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 10/17

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त एवं फर्म : अमानाराम पुत्र भूराराम जाति जाट पता धींगड़ा पार्क, हाउस नं 1129 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर । फर्म – मैसर्स चौधरी मावा भण्डार, दुकान नं. 06, बस स्टैण्ड के पास, गुरूनानक बिल्डिंग, श्रीगंगानगर

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांक : 17 जुलाई, 2017**

संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.03.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के द्वारा उन्हें कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकत्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते है।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.03.2017 को दोपहर 02:30 पी.एम. पर फर्म मै. चौधरी मावा भण्डार, दुकान नं 06, बस स्टैण्ड के पास, गुरूनानक बिल्डिंग, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया तथा परिचय लिया। श्री अमानाराम पुत्र भूराराम जाट जाति जाट पता धींगडा पार्क, हाउस नं 1129 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर है एवं फर्म चौधरी मावा भण्डार पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के मालिक की हैसियत से मौजूद है एवं आम जनता को मावा मिठाई बेचता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ फीका मावा के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान के डीपफ्रिज में खुले मुंह के पीपों में फीका मावा बिक्री हेतु रखा हुआ था, जो लगभग 18 किलोग्राम मावा था। एक पीपे को बाहर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

निकालकर मौजूद मावा को एक रूप किया एवं इस एक रूप किये हुए फीका मावा में से 1 किलो फीका मावा एक साफ सूखे खाली भिगोने में खरीदा, मावा की कीमत 170 रूपये अदा की और खरीद की रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरियल नं, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात खरीद शुदा मावा को चारो नमूना बोतलों में बराबर–बराबर भरा, प्रत्येक बोतल में 20–20 बूंद फार्मलीन डाली, चारो नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया, चारों नमूना बोतलों को कॉर्क से एयरटाईट बन्द किया, चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के–767 को नियमानुसार नीचे ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांद कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता अमानाराम ने पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यलय पहुंचकर फार्म संख्या 6 की 8 प्रतियां तैयार की उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म संख्या 6 की एक–एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग–अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा, ऊपर नीचे, आजू बाजू सील चपड़ी किया तथा फार्म संख्या 6 की दो दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग–अलग बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूने के चारों भागों एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के एक भाग एवं फार्म संख्या 6 का एक सील बंद लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा शेष तीन सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की सील बंद लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ., श्रीगंगानगर को स्वयं ने जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/486/एक्ट/2017 /553 दिनांक 03.04.2017 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–767 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(II) के अन्तर्गत अमरलक (Sub Standard) पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.06.2017 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

10/2017 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर A6/3 A1/T 1......

A7/T

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस फीके मावा का नमूना जांच हेतु लिया गया था वह मावा उसने मार्किट से खरीदा था, जिसके बारे में वह अनजान था। अभियुक्त अपना जुर्म स्वीकार करता है तथा कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को समाप्त करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब को दोहराते हुए कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को समाप्त करने का निवेदन किया है।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री अमानाराम से लिया गया फीका मावा के–767 जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/486/एक्ट/2017/553 दिनांक 03.04.2017 द्वारा अमानक (Sub Standard) पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के उल्लंघन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि बिन्दु संख्या 01 Mils Fat Content of the finished product (on dry weight basis) is Not less than 30.0% जबकि के–767 की जांच रिपोर्ट में 26.20 प्रतिशत पाया गया है एवं Sample of Khoya (Feeka Mawa) bearing Code No. and Sr. No. K-767 of Designed Office cum The Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Substandard Food Under Section 3(1)(zf) of FSS Act 2006 due to less contents of Milk Fat Content of the finished product(on dry weight basis)

फलस्वरूप, अमानाराम को एफ.एस.एस. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। अभियुक्त श्री अमानाराम को एफ.एस.एस. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 4000/– (अखरे रूपये चार हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

17/7/17

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर